Here Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1037]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2012/ज्येष्ठ 10, 1934

No. 1037]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2012/JYAISTHA 10, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

का.आ. 1253(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने श्री ज्योति कुमार सिन्हा को उक्त प्राधिकरण का सदस्य नामित किया है।

[फा. सं. 44-12/2010-एन डी एम-II] आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2012

S.O. 1253(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has nominated Shri Jyoti Kumar Sinha, as Member of the said Authority.

[F. No. 44-12/2010-NDM-II] R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.